

**शुभलक्ष्मी महिला को—ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड**  
**प्रधान कार्यालय 225, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर (म.प्र.)**

---

**लॉकर पॉलिसी**

1. यह लॉकर पॉलिसी शुभलक्ष्मी महिला को—ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड इंदौर म.प्र. की लॉकर पॉलिसी कहलायेगी।
2. लॉकर सुविधा बैंक के नियमों/उपनियमों के अनुसार ही दी जायेगी।
3. बैंक तथा लॉकर धारकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लॉकर नीति में यथा समय संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार बैंक को रहेगा। संशोधन संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किये जाने पर प्रभावशील होंगे, साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक व आयुक्त सहकारिता विभाग से समय – समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार उपरोक्त नियमों में परिवर्तन को निर्धारित दिनांक से अनुमोदित माना जावेगा, व संचालक मण्डल को तदनुसार लॉकर नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
4. लॉकर देने का निर्णय शाखा प्रबंधक का रहेगा।
5. लॉकर पॉलिसी में उल्लेखित नियमों की व्याख्या अथवा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में बैंक संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम होकर मान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।

**ब. परिभाषायें : –**

1. बैंक से तात्पर्य शुभलक्ष्मी महिला को—ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड इंदौर म.प्र. रहेगा।
2. उपनियम से तात्पर्य बैंक के पंजीकृत उपनियम से होगा।
3. सहकारी विधान से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम 1962 रहेगा।
4. शासन से तात्पर्य मध्यप्रदेश सरकार से होगा।
5. आयुक्त से तात्पर्य, आयुक्त सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश अथवा उसके अधिनस्थ ऐसे अधिकारी जिन्हे प्रचलित सहकारी विधान व सहकारी नियम के अंतर्गत बैंक के आयुक्त के अधिकार प्राप्त होंगे। ‘

## **लॉकर संबंधी नियम –**

- 1.1** लॉकर किराय पर लेने वाले सभी लॉकर धारको की भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार के.वाय.सी. के साथ मोबाईल नं. , ई-मेल (यदि उपलब्ध) व अन्य संबंधित जानकारी ली जावेगी।
  - 1.2** व्यक्तिगत, संयुक्त धारक (अधिकतम 4) फर्म, पार्टनरशीप फर्म, ट्रस्ट को लॉकर किराये पर दिया जा सकेगा।
  - 1.3** बैंक लाकर किराए पर रखने वाले (लो) और लाकर के किरायेदार (रो) द्वारा अधिकृत व्यक्ति (यो) के हाल के पासपोर्ट आकार की फोटो प्राप्त करेगे जो लॉकर को संचालित करने और बैंक की शाखा में रखे जा रहे लॉकर किरायेदार से संबंधित रिकार्ड में संरक्षित किया जायेगा।
- 2.1** लॉकर अनुबंध – नये लाकर में नियमानुसार अनुबंध शासन द्वारा निर्धारित मुल्य के स्टाम्प पर बैंक एवं लॉकर धारको के मध्य होगा।
  - 2.2** बैंक के निर्धारित लॉकर प्रारूप में 01 जनवरी 2023 तक मौजुदा लॉकर ग्राहको के साथ पुनः के.वाय.सी. लेकर किया जाना सुनिश्चित करेंगी।
  - 2.3** लॉकर किराया लॉकर जारी करने के दिनांक से वित्तीय वर्षान्त तक का लिया जावेगा। एस.बी.एल. खाते में चालु वर्ष का किराया नामे होने के बाद 2 वर्ष का अग्रिम किराया जमा रखना होगा। चालु वर्ष का किराया एडवांस लिया जावेगा। लॉकर किराये व अन्य खर्च का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बैंक ग्राहक से सावधि जमा प्राप्त कर सकेगा। धारक द्वारा लॉकर के समर्पण की स्थिति में एकत्र किए गए अग्रिम किराया की आनुपातिक राशि तिमाही आधार पर ग्राहक को वापस कर दी जावेगी।
  - 2.4** बैंक लॉकर समझौते में एक खंड शामिल करेंगे कि लॉकर धारक सुरक्षित जमा लॉकर में कुछ भी अवैध या कोई खतरनाक पदार्थ/वस्तु नहीं रखेगा। यदि बैंक को संदेह है कि किसी ग्राहक द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर में कोई अवैध/खतरनाक पदार्थ/वस्तु जमा किया गया है तो बैंक को ऐसे ग्राहक के विरुद्ध विधी सम्मत कार्यवाई करने का अधिकार होगा जो उस समय परिस्थिति में उचित और सटीक लगे।
  - 2.5** शाखा के विलय/बंद/स्थानांतरण जैसी कोई स्थिति निर्मित होती है, तो बैंक इस संबंध में दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना देगा और ग्राहकों को लॉकर बदलने या बंद करने के विकल्पों के साथ कम से कम एक महीने पहले सूचित किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं या ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति के कारण अनियोजित स्थानांतरण के मामले में, बैंक अपने ग्राहकों को यथा शीघ्र उपयुक्त रूप से सूचित करने का प्रयास करेगा।
  - 2.6** दोनों पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर अनुबंध की दो प्रतियों लेकर समझौते की एक प्रति लॉकर किरायेदार को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिये प्रस्तुत की जायेगी। मूल करार बैंक की उस शाखा के साथ रखा जायेगा जहाँ लॉकर स्थित है।

### **3. लॉकर मानक –**

- 3.1** बैंक द्वारा स्थापित किए जाने वाले सभी नए यांत्रिक लॉकर भारतीय मानक ब्युरो(बी.आई.एस.) या इस संबंध में लागु किसी अन्य उचित उद्योग मानकों द्वारा निर्धारित सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बुनियादी मानकों/बेन्चमार्क के अनुरूप होंगे।
- 3.2** बैंक यह सुनिश्चित करेगी की जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लॉकर/अनुरूप लॉकर के स्वामित्व की पहचान को सुविधा जनक बनाने की दृष्टि से बैंक/शाखा का पहचान कोड सभी लॉकर की चाबियों पर अंकित होगा। इसके अलावा लॉकर का संरक्षक नियमित रूप से समय – समय पर शाखा में रखी चाबियों की जाँच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उचित रिस्ते में हैं। लॉकर में यदि प्रावधान हो तो ग्राहक को अपने स्वयं के अतिरिक्त पेडलॉक का उपयोग करने की अनुमति दी सकेगी।

### **4.1 लॉकर संचालन –**

- 4.1.1** लॉकर धारक और या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों को ही बैंक के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान और बैंक के रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद लॉकर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी बैंक लॉकर धारकों सहित सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखेगा, बैंक लॉकर रजिस्टर में लॉकर संचालित करते समय खोलने वाले का नाम, तारीख और समय दर्ज कर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
- 4.1.2** बैंक अधिकारी चाबी को अनलॉक करने के बाद लॉकर धारक द्वारा लॉकर खोलते समय मौजूद नहीं रहेगा।
- 4.1.3** बैंक दिन की समाप्ति से पहले ग्राहक के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. और मोबाईल नंबर पर एक सकारात्मक पुष्टि के रूप में एक एस.एम.एस. अलर्ट भेजेगें जिसमें लॉकर के संचालन की तारीख और समय होगा एवं अनिधिकृत लॉकर पहुँच मामले में उपलब्ध निवारण तंत्र की सूचना दी जाएगी।
- 4.1.4** लॉकर पॉलिसी – लॉकर संचालन सप्ताह में अधिकतम 3 बार किया जा सकेगा। अधिक संचालन करने पर प्रति निर्धारित शुल्क देय होगा।

### **4.2 बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण –**

- 4.2.1** खाली लॉकरों की चाबियां सीलबंद लिफाफे में रखी जाएंगी। डुप्लीकेट मास्टर चाबियां बैंक की किसी अन्य शाखा में जमा की जाएंगी। मास्टर चाबियों की संयुक्त अभिरक्षा का उचित रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक सरेन्डर/खाली लॉकरों और उनकी चाबियों का आकस्मिक सत्यापन बैंक के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जावेगी जो उनकी अभिरक्षा से संबंधित नहीं है और ऐसे सत्यापन का उचित रिकॉर्ड रखा जावेगा।
- 4.2.2** बैंक द्वारा लॉकर और लॉकर चाबी संबंधी रजिस्टर सी.बी.एस. या आर.बी.आई. द्वारा जारी साईबर सुरक्षा ढांचे के अनुरूप किसी अन्य कम्प्युटरीकृत प्रणाली में रखा जावेगा।

4.2.3 बैंक का अभिरक्षक यह जांच करेगा कि संचालन के बाद लॉकर ठीक से बंद किया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो लॉकर को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और लॉकर किराए पर लेने वाले को तुरंत पंजीकृत एस.एम.एस. के माध्यम से यदि मोबाईल नंबर पंजीकृत है या पत्र के माध्यम से ताकि वे लॉकर की सामग्री के संबंध में किसी भी परिणामी विसंगति को सत्यापित कर सकें। बैंक का अभिरक्षक रजिस्टर में लॉकर को ठीक से बंद न करने और बैंक द्वारा इसे बंद करने के तथ्य को तारीख और समय के साथ दर्ज करेगा। इसके अलावा लॉकर रूम का अभिरक्षक दिन के अंत में लॉकर रूम की भौतिक जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित कर सके की लॉकर ठीक से बंद है और बैंकिंग घंटों के बाद कोई भी व्यक्ति अनजाने में लॉकर रूम में फंसा तो नहीं है।

## 5. नामांकन सुविधा –

5.1.1 बैंक कारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड सी. से 45 जेड एफ और बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार बैंक सुरक्षित जमा लॉकर और वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के मामले में नामांकन सुविधा प्रदान करेगा। यदि नामिनी अव्यस्क है तो बैंक द्वारा बैंक खातों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

5.1.2 नामांकन, रद्दीकरण ओर / या नामांकन में परिवर्तन संबंधी विधिवत भरे हुए फार्म की प्राप्ति को स्वीकार करने के लिए एक उचित प्रणाली होगी। जिसकी पावती सभी ग्राहकों को दी जाएगी भले ही ग्राहकों द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं।

5.1.3 नामिनेशन बदलने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।

## ग्राहक की मृत्यु के मामले में दावों के निपटान –

5.2.1 दावों के निपटान के लिए समय सीमा बैंक द्वारा मृत लॉकर किरायेदारों के संबंध में जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण की प्रस्तुति और नामांकन के संदर्भ में दावेदार (अ) की उपयुक्त पहचान के अधीन दावे की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर दावों का निपटान करेगी और लॉकर की सामग्री को उत्तरजीवी (दो) या नामित (यो) को जैसा भी मामला हो सौंप देंगे।

5.2.2 सुरक्षित जमा वस्तुओं के लॉकर के मृतक किरायेदार/जमाकर्ता के उत्तरजीवी उत्तर जीवियों/नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) को संचालन की अनुमति प्रदान करते समय जब तक नामांकन में कोई विसंगति न हो, बैंक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रशासन पत्र या प्रोबेट आदि कराने या उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) से क्षतिपूर्ति या जमानती का कोई बाण्ड प्राप्त करने पर जोर नहीं देगी।

5.3.1 बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए की लॉकर की सामग्री जब किसी नाबालिग नामित व्यक्ति की ओर से लौटाने की मांग की जाती है तो उसे ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए जो विधिक रूप से ऐसे नाबालिग की ओर से उक्त वस्तु को प्राप्त करने में सक्षम है। इसके अलावा बैंक दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वस्तुओं की एक सूची तैयार करेगें पहला बैंक का एक अधिकारी जो लॉकर सुविधा या

वस्तुओं के सुरक्षित जमा से जुड़ा हुआ नहीं और दूसरा दावेदार (दावेदारों) जो नामित हो सकता है या नाबालिग की ओर से वस्तु प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति हो सकता है।

- 5.3.2** बैंक नामिती (दावेदार) या नाबालिग की ओर से वस्तु प्राप्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति से जो भी स्थिति हो, अलग से यह वचन पत्र प्राप्त करेगा कि लॉकर में या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी सभी सामग्री, जैसा भी लागू हो उसने प्राप्त कर लिया है और लॉकर अब खाली है तथा बैंक द्वारा लागू मानदंडों के अनुसार किसी अन्य ग्राहक को लॉकर आवंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

## 6.1 ग्राहक के अनुरोध पर लॉकर सामग्री का निपटान –

- 6.1.1** यदि बैंक द्वारा दी गई लॉकर की कुंजी को लॉकर के किरायेदार द्वारा खो दी जाती है तो ग्राहक (लॉकर का किरायेदार) इस संबंध में बैंक को तत्काल सुचित करेगा। ग्राहक से एक वचन पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है कि जो कुंजी रखी गई है यदि भविष्य में मिली तो उसे बैंक को सौप दिया जाएगा। लॉकर खोलने, ताला बदलने और खोई हुई कुंजी को बदलने के सभी खर्च किरायेदार से वसूल किए जा सकते हैं। खोई हुई कुंजियों को बदलने पर लागु शुल्कों की सूचना लॉकर के किरायेदार को दी जाएगी।
- 6.1.2** यह कार्यवाही ग्राहक/ग्राहकों एवं बैंक के एक प्राधिकृत अधिकारी को उपस्थिति में की जाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि आसपास के लॉकर ऐसे किसी भी परिचालन से प्रभावित न हो।
- 6.2** किसी भी विधिक प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा लॉकर में रखी सामग्री और बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी सामग्रियों की कुर्की और वसूली –
- 6.2.1** किसी ग्राहक के लॉकर में रखी सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के मामले में किसी न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने पर बैंक आदेशों के निष्पादन और कार्यान्वयन में सहयोग करेगा।
- 6.2.2** बैंक लॉकर में रखी सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली के लिए प्राप्त आदेशों और संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा। ग्राहक (लॉकर के किरायेदार) को पत्र के साथ-साथ पंजीकृत ईमेल आई.डी. मोबाइल नंबर पर ईमेल एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाएगा कि सरकारी प्राधिकारियों ने लॉकर में रखी सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की कुर्की और वसूली या जब्ती के लिए उनसे संपर्क किया है। ऐसे सरकारी प्राधिकारियों, दो स्वतंत्र गवाहों और बैंक के एक अधिकारी की उपस्थित में जब्त किए गए लॉकर में रखी सामग्री या बैंक की सुरक्षित जमा में रखी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और सभी द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त सूची की एक प्रति ग्राहक को बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध पते पर भेजी जाएगी या पावती के पश्चात् ग्राहक को हाथ में सौंपी जा सकती है।

**6.2.3** बैंक विधिक रूप से अनुमति होने की स्थिति में लॉकर तोड़ने और सूची मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी रेकॉर्ड करेगा और भविष्य में किसी भी विवाद या अदालत या धोखाधड़ी के मामले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वीडियो को संरक्षित करेगा।

**लॉकर किराया का भुगतान न करने के कारण बैंक द्वारा लॉकर सामग्री का निपटान।**

**6.3** यदि ग्राहक द्वारा लगातार तीन वर्षों तक किराया का भुगतान नहीं किया गया है तो बैंक को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी लॉकर को खोलने का विवेकाधिकार होगा। आवंटन में किसी भी बदलाव से पहले बैंक मौजुदा लॉकर किरायेदार को सूचित करेगा तथा उसके जमा की गई वस्तुओं को वापस लेने का उचित अवसर देगा।

**6.4** लॉकर किराये पर समय पर भुगतान नहीं करने पर बैंक निर्धारित पेनल्टी ले सकेगी।

**6.5** लॉकर किराया तीन वर्ष एवं उससे अधिक वर्षों का बाकी होने पर लॉकर ब्रेक ओपननिर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा सकेगा।

**6.5.2** 1 बार साधारण सूचना दी जाए (पत्र क्रमांक 1)

**6.5.3** 1 रजिस्टर्ड सूचना दी जाए (पत्र क्रमांक 2)

**6.5.4** 1 रजिस्टर्ड सूचना दी जाए (पत्र क्रमांक 3)

**6.5.5** अंतिम सूचना पत्र लॉकर ब्रेक ओपन (पत्र क्रमांक 4)

**6.5.6** उचित समय पश्चात् दो समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जावे।

**6.5.7** प्रकाशित सूचना संबंधित पक्ष को रजिस्ट्री से भेजा जाए अथवा बैंक में उपलब्ध पते पर पंचनामा बनाकर चर्चा किया जाए।

**6.5.8** लॉकर ब्रेक ओपन।

**6.5.8.1** अधिकृत कंपनी द्वारा किया जावेगा।

**6.5.8.2** निम्नलिखित 7 के समक्ष ब्रेक ओपन करवाया जावेगा।

- अ. शाखा प्रबंधक
- ब. विभाग का अधिकारी
- स. दो बैंक के खातेदार (संभव हो तो लॉकर के परिचयकर्ता) को अवश्य रखें।
- द. वकील
- ध. वेल्युअर
- न. लॉकर कंपनी का प्रतिनिधि

**6.5.9** लॉकर ब्रेक – अप की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रेकार्डिंग की जावेगी।

**6.5.10** उपरोक्त सात गवाहो के समक्ष लॉकर से सामान निकलने की स्थिति में पीलीधातु/सफेदधातु/नगद/रंगीन पत्थर आदि की पुरी विगत के साथ लिस्ट बनाई जाए। सामग्री को कपड़े की थैली में रखकर उसमें लिस्ट की एक प्रति रखें तथा एक प्रति ऑफिस कॉपी के रूप में रखी जावे। एक प्रति थैली के ऊपर चिपकाकर थैली को सील करें, ध्यान रखे की सभी गवाहो के हस्ताक्षर, नाम, पता, स्टेटस तथा खातेदार का बैंक लॉकर खाता क्रं. लिस्ट में दर्ज हो। थैली को ग्राहक द्वारा दावा किये जाने तक आग प्रतिरोधी तिजोरी के अंदर विस्तृत सूची के छेड़छाड़ रहित तरीके से रखा जावेगा।

**6.5.11** लॉकर ब्रेक ओपन रजिस्टर मेन्टेन किया जाए जिसमें सभी गवाहो के हस्ताक्षर के साथ सामान लिस्ट या लॉकर में कोई सामान नहीं मिला आवश्यक रूप से लिखते हुए पुरी प्रक्रिया की प्रोसेडिंग लिखी जाए। यदि लॉकर ब्रेक ओपन के समय लॉकर धारक या उनका अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रहे तो उनके हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करवायें।

**6.5.12** लॉकर धारक को लॉकर ब्रेक ओपन किया गया। पत्र दिया जाए इसकी सूचना जिसमें लॉकर किराया तथा ब्रेक ओपन संबंधी समस्त खर्च का मांग पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा जाए। लॉकर धारक को लॉकर सामग्री वापस करते समय बैंक भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिये वस्तु सूची में ग्राहक की पावती प्राप्त करेगा।

**6.5.13** लॉकर ब्रेक ओपन प्रक्रिया के प्रथम तीन पत्र के पश्चात् भी यदि पार्टी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो मुख्यालय/लेखा परीक्षण/संचालक मंडल की अनुमति के पश्चात् ही पत्र क्रं. 4 भेजकर प्रक्रिया संपन्न की जाए।

**6.5.14** ब्रेक ओपन में संचालक मंडल के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।

**6.5.15** आवश्यक समस्त सावधानियाँ रखें।

**6.5.16** न्यायालय में विचाराधीन कोई प्रकरण या अन्य कोई सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक होने पर लॉकर ब्रेक ओपन नहीं किया जा सकेगा।

**6.5.17** लॉकर ब्रेक ओपन प्रक्रिया में लगने वाले सभी खर्च एवं शेष किराया टैक्स सहित लॉकर धारक से वसूली योग्य होंगे।

## 7. बैंक का दायित्व –

- 7.1** बैंक लूट, डकेती, चोरी और सेंधमारी की घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए धोखाधड़ी पर मास्टर निर्देशों का पालन करेगा।
- 7.2** प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, बिजली और आंधी या किसी भी कार्य जो ग्राहक की एक मात्र गलती या लापरवाही के कारण होता है उसे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और या लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

**7.3** बैंक कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण ग्राहक को नुकसान होता है तो बैंक की देयता अधिकतम सुरक्षित जमा लॉकर के मौजुदा वार्षिकी किराये के सौ गुना के बराबर राशि के लिए होगा।

## **8. जौखिम प्रबंधन, परदर्शिता और ग्राहक मार्गदर्शन –**

### **शाखा बीमा नीति –**

**8.1** बैंक अपने बोर्ड के अनुसोदन से लॉकरों को प्रभावित करने वाली घटनाएँ जैसे शाखा के स्थानातंरण/विलय के दौरान हानि आदि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शाखा एक बीमा पॉलिसी रखेगी।

**8.2** ग्राहक द्वारा लॉकर सामग्री का बीमा –

बैंक अपने लॉकर करार में स्पष्ट करेगे कि चूकि वे लॉकर की सामग्री या उसमें से हटाए गए या ग्राहक द्वारा रखी गई किसी भी वस्तु का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसलिए जौखिम जो भी हो, वे लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में लॉकर की सामग्री के बीमा के लिए अपने लॉकर किरायेदारों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई बीमा उत्पाद नहीं देगा।

**8.3** बैंक अपनी वेबसाइटों और या शाखाओं पर विभिन्न पहलुओं पर सभी नियमों और शर्तों के साथ माडल लॉकर समझौते को प्रदर्शित करेगा।